

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-625 / 2012संस्थित दिनांक-14.08.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

पहाडी उर्फ प्रमोद पुत्र अतरसिंह यादव उम्र 33 साल

निवासी ग्राम लुहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 12.10.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 457, 380 के अधीन आरोप है कि उसने दिनांक 17-18.07.12 की मध्य रात्रि साधूसिंह खेरिया का मकान स्योढा रोड मौ पर चोरी करने के आशय से फरियादी इकबाल खां की दुकान का ताला तोड़कर रात्रो गृहभेदन का अपराध कारित किया तथा फरियादी इकबाल खां की दुकान से लोहे का सामान औजार आदि कुल कीमती 5500 रुपये का सामान बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाकर या हटाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी इकबाल खां दिनांक 17.07.12 को अपनी बेल्टिंग की दुकान रोजाना की तरह बंद करके चला गया। दूसरे दिन सुबह आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा मिला, दुकान में एक घन, एक हथौड़ा, एक व्हीलपाना, एक चक्की का पाट लोहे का, एक दाब चक्की की, एक जैक नहीं मिला कोई अज्ञात चोर दुकान के अंदर घुसकर चोरी कर ले गया। अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाडी दुकान बंद करते समय घूम रहा था, फरियादी को उसी पर शक होने से प्रमोद उर्फ पहाडी से कहाकि मेरे यहां चोरी हो गयी तुम्हारे नाम से रिपोर्ट करता हूँ तो अभियुक्त ने कहाकि भूल हो गयी रिपोर्ट मत करना, तुम्हारा सामान दे दूंगा किन्तु सामान नहीं दिया तब फरियादी ने अप0क्र0 158/12 पर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। दौरान अनुसंधान नक्शा मौका बनाया गया, अभियुक्त से पूछताछ कर मेमो लिया गया, जब्तीकर जब्ती पत्रक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, शिनाख्त कार्यवाही की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17-18.07.12 की मध्य रात्रि साधूसिंह खेरिया का मकान स्योढा रोड मौ पर चोरी करने के आशय से फरियादी इकबाल खां की दुकान का ताला तोड़कर रात्रो गृहभेदन का अपराध कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर फरियादी इकबाल खां की दुकान से लोहे का सामान औजार आदि कुल कीमती 5500 रुपये का सामान बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाकर या हटाकर चोरी कारित की ?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में गुड्डू अ0सा0 1, मेहमूद खां अ0सा0 2, दिनेश अ0सा0 3, मुकेश अ0सा0 4, अकलाख खां अ0सा0 5, निहालसिंह अ0सा0 6, नवरंगसिंह अ0सा0 7, वीरेन्द्र शिवहरे अ0सा0 8 तथा खलील अ0सा0 9 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. फरियादी इकलाख खां अ0सा0 5 यह कथन करता है कि अभियुक्त की उसके पड़ोस में दुकान है। साक्ष्य से चार पांच साल पहले वह शाम को अपनी दुकान बंद करके चला गया दूसरे दिन आकर देखा तो उसका दुकान का ताला टूटा पड़ा था जिसमें से एक लोहे का घन, हथौड़ा, लोहे का पाट, ठिया, लोहे की बांक, जैक, व्हीलपाना चोरी हो गया जिसकी उसने थाना मौ में रिपोर्ट की थी। साक्षी प्र0पी0 6 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया जाना बताता है। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाडी पर शक होने तथा अभियुक्त द्वारा फरियादी से अपराध की संस्वीकृति किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया। उक्त तथ्यों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में उक्त सुझाव दिए गए तो साक्षी ने उक्त सुझाव से इंकार किया है। इस प्रकार से अभियुक्त की अपराध में संलिप्त होने के संबंध में फरियादी ने प्र0पी0 6 की रिपोर्ट के विनिर्दिष्ट बी से बी भाग पर उक्त तथ्यों को लिखाए जाने से इंकार किया है।

7. प्रकरण में गुड्डू अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि फरियादी इकलाख को वे जानते हैं जिनकी उसके मकान में बेलिडिंग की दुकान किए था। साक्षी यह बताता है कि एक साल पहले चोरी की जानकारी हुई, इसके अलावा और कोई जानकारी न होने का कथन करता है। मेहमूद खां अ0सा0 2 अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उसकी बेलिडिंग की दुकान है जिसमें रात के समय लोहे के औजार घन, जैक आदि सामान चला गया था और सुबह आकर देखा तो दुकान में ताला नहीं डला था। साक्षी सामान चोरी हो जाने की बात बताता है और सामान अभियुक्त के द्वारा ले जाने के संबंध में कथन करता है। साक्षी यह कथन करता है कि अभियुक्त मौ में आमतौर पर चोरी करता रहता है इसलिए वह जानता है, बाद में बस वाले ने बताया था कि अभियुक्त सामान ग्वालियर

बेचकर आ गया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने अभियुक्त को चोरी करते नहीं देखा और न सामान उठाते देखा है, यह भी स्वीकार करता है कि उसके सामने सामान नहीं बेचा गया था और बस वाले द्वारा बताए जाने के कारण वह अभियुक्त के द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में कथन कर रहा है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियुक्त के अभिकथित चोरी के सामान को ले जाते हुए और ग्वालियर में बेचते हुए देखने का समर्थन नहीं किया है ऐसे में साक्षी मेहमूद अ0सा0 2 की अभिसाक्ष्य की अभिपुष्टि नहीं होती है और उसका कथन अनुश्रुत तथ्यों के आधार पर दिया जाना दर्शित है जो कि विश्वसनीय नहीं हैं।

8. दिनेश अ0सा0 3 अभिसाक्ष्य में उसे चोरी की कोई जानकारी न होना बताता है। मुकेश कुमार जैन अ0सा0 4 व वीरेन्द्र शिवहरे अ0सा0 8 भी अभियुक्त को नहीं जानता और न उसके समक्ष कोई पूछताछ का समर्थन करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है कि अभिकथित घटना दिनांक 17-18.07.12 की दरम्यानी रात फरियादी इकलाख की दुकान से उसका सामान चोरी हुआ। ऐसी दशा में उक्त तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि उक्त समय पर फरियादी का उक्त सामान दुकान से चोरी हुआ, किन्तु किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा यह कथन नहीं किया गया कि उसने अभियुक्त को दुकान का ताला तोड़ते, उसमें प्रवेश करते, सामान रखे स्थान से हटाते हुए तथा दुकान से बाहर निकलते हुए देखा हो। स्वयं फरियादी प्राथमिकी प्रपी0 6 में बी से बी भाग पर अभियुक्त के संबंध में संदेह के आधार पर लिप्तता के तथ्य से इंकार करता है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर हो जाता है।

9. अनुसंधानकर्ता नवरंगसिंह अ0सा0 7 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि उन्होंने दिनांक 21.07.12 को अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 3 बनाया, अभियुक्त से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम लिया जिसमें सुसंगत तथ्य अभियुक्त द्वारा चोरी के सामान को अपने गौडा की मढैया में छिपाकर रख देने और चलकर बरामद करा देने की जानकारी मिलना बताता है। तत्पश्चात् अभियुक्त की निशांदाही पर उसके गौडा में बनी कच्ची मढैया से प्र0पी0 5 के अनुसार सामान जब्त होने का तथ्य बताते हैं। प्र0पी0 4 व 5 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उक्त दस्तावेजों के साक्षी रिकू उर्फ मुकेश अ0सा0 4 तथा वीरेन्द्र अ0सा0 8 दोनों ही न तो अभियुक्त को जानते हैं और न ही उनके समक्ष पूछताछ होने और कोई सम्पत्ति जब्त होने का समर्थन करते हैं। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण मेमोरेण्डम एवं जब्ती पत्रक के अनुसार कार्यवाही से इंकार करते हैं।

10. प्रकरण में अभियुक्त से अभिकथित प्र0पी0 4 के मेमोरेण्डम के अनुसार तथ्य पता चलने एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रपी0 5 के अनुसार जब्तीपत्रक में उल्लेखित सामान को जब्त किए जाने के संबंध में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि पुलिस साक्षी की साक्ष्य पर

भी विश्वास किया जा सकता है किन्तु दूसरी ओर यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्र०पी० 5 के अनुसार अभिकथित जब्ती पत्रक के सामान के संबंध में फरियादी इकलाख खां शिनाख्ती पंचनामा प्र०पी० 8 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताता है किन्तु सारवान कथन नहीं करता, जबकि शिनाख्तीगी कर्ता साक्षी खलील अ०सा० 9 प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि सामान शिनाख्त के लिए पुलिस के दीवानजी उसके घर पर आए थे और प्र०पी० 8 पर हस्ताक्षर करा लिए थे, जब हस्ताक्षर कराए तब फरियादी इकलाख नहीं था तथा यह भी कथन करते हैं कि उपरोक्त सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान नहीं लाया गया जबकि शिनाख्ती मेमो प्र०पी० 8 में शिनाख्त का स्थान नगर पंचायत भवन मौ लेख है साथ ही उसमें जब्तशुदा सामान के अतिरिक्त सामान मिलाए जाने पर फरियादी द्वारा पहचान किए जाने के संबंध में तथ्य लेख है। ऐसी दशा में उक्त शिनाख्त कार्यवाही दूषित हो जाती है।

11. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि पुलिस द्वारा फरियादी इकलाख के चोरी हुए सामान को प्राप्त कर लिया गया किन्तु अभिकथित सामान अभियुक्त की अभिरक्षा से जब्त किया गया हो, ऐसा तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अभियुक्त से पूछताछ प्राप्त जानकारी के अनुसार जब्ती स्वतंत्र साक्ष्य से अभिपुष्ट नहीं हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की अनन्यता को विधितः प्रमाणित करने हेतु कोई रोजनामचा सान्हा का उल्लेख प्र०पी० 3, 4 व 5 के दस्तावेज में नहीं किया है। शिनाख्त कार्यवाही के संबंध में फरियादी मौन है और शिनाख्त कार्यवाही निष्पादनकर्ता की दोषपूर्ण साक्ष्य है। फरियादी इकलाख अ०सा० 5 प्रतिपरीक्षण में कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेने का तथ्य बताता है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां प्रकरण में अभियुक्त के संबंध में संदेहपूर्ण परिस्थिति को निर्मित करते हैं।

12. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581: 2016-4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि “विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए “सत्य हो सकेगा” की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से “सत्य होना चाहिए” के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध



साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

13. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में परिवादी पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने 17-18.07.12 की मध्य रात्रि साधूसिंह खेरिया का मकान स्योढा रोड मौ पर चोरी करने के आशय से फरियादी इकबाल खां की दुकान का ताला तोड़कर रात्रो गृहभेदन का अपराध कारित किया तथा फरियादी इकबाल खां की दुकान से लोहे का सामान औजार आदि कुल कीमती 5500 रुपये का सामान बेईमानी पूर्वक आशस से ले जाकर या हटाकर चोरी कारित की।। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

15. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति के संबंध में पूर्व में सुपुर्दगी आदेश दिनांक 17.07.14 को पूर्व पीठासीन अधिकार द्वारा किया गया, किन्तु सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ। संपत्ति पर अभियुक्त ने कोई दावा नहीं किया। अतः फरियादी इकबाल खां को संपत्ति लौटाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया जावे। उसके द्वारा संपत्ति प्राप्त न करने की दशा में संपत्ति को राजसात किया जावे।

16. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहे हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)